



केंद्रीय शुल्क, केंद्रीय उत्पादशुल्क व सेवा करके आयुक्त का
कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX,
CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX

मेडचल आयुक्तालय MEDCHAL COMMISSIONERATE

मेडचल जीएसटी भवन, 11-4-649/B, लकड़ी-का-पूल,
MEDCHAL GST BHAVAN, 11-4-649/B, Lakdikapul,
हैदराबाद-500 004 HYDERABAD – 500 004

Email: cgst.mdclcommr@gov.in Ph:-040-24303013



IS 15700 : 2005 Certified Commissionerate

प.संख्या C.No.IV/16/01/2018-Tech

दिनांक Date: 01.01.2019

व्यापार सुविधा Trade Facility No. 01/2019-GST

विषय: परिपत्रों का सम्प्रेषण - संबंधित

Sub: Communication of Circulars - Reg

** ** *

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के निम्नलिखित सूचीबद्ध परिपत्र सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एतद संलग्न हैं।

The copies of the CBIC Circulars tabulated below are enclosed herewith for information, guidance and necessary action.

क्र. सं. Sl No	परिपत्र सं. / दिनांक Circular No./Date	विषय Subject
1	परिपत्र सं. 75/49/2018-GST दिनांक 27 दिसंबर, 2018 Circular No. 75/49/2018-GST Dated the 27th December, 2018	संस्कृति मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की 'सेवा भोज योजना' नामक योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायक हेतु आवेदन पत्रों को प्रोसेस करने के दिशानिर्देश - संबंधित। Guidelines for processing of applications for financial assistance under the Central Sector Scheme named 'Seva Bhoj Yojna' of the Ministry of Culture - Reg.
2	परिपत्र सं. 76/50/2018-GST दिनांक 31 दिसंबर, 2018 Circular No. 76/50/2018-GST Dated the 31st December, 2018	जीएसटी से संबंधित कुछ मामलों (शासकीय विभागों द्वारा अपंजीकृत व्यक्तियों को विक्रय; केन्द्रीय जी एस टी अधिनियम की धारा 73(11) के अंतर्गत अर्थदण्ड की उद्घाटनता; केन्द्रीय जी एस टी अधिनियम की धारा 142(2) के अंतर्गत जारी डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के मामलों में कर की दर; अधिसूचना संख्या 50/2018-1 केन्द्रीय कर की अनुप्रयोज्यता; माल के

		स्वामी की परिभाषा एवं आयकर अधिनियम के अंतर्गत टी सी एस के मामलों में मूल्यांकन पद्धति) पर स्पष्टीकरण - संबंधित। Clarification on certain issues (sale by government departments to unregistered person; leviability of penalty under section 73(11) of the CGST Act; rate of tax in case of debit notes / credit notes issued under section 142(2) of the CGST Act; applicability of notification No. 50/2018-Central Tax; valuation methodology in case of TCS under Income Tax Act and definition of owner of goods) related to GST-Reg.
3	परिपत्र सं. 77/51/2018-GST दिनांक 31 दिसंबर, 2018 Circular No. 77/51/2018-GST Dated the 31st December, 2018	कर प्राधिकारियों द्वारा कौंपोजीशन विकल्प से इंकार और उसकी प्रभावी तारीख- संबंधित Denial of composition option by tax authorities and effective date thereof - Reg.
4	परिपत्र सं. 78/52/2018-GST दिनांक 31 दिसंबर, 2018 Circular No. 78/52/2018-GST Dated the 31st December, 2018	जीएसटी के अंतर्गत निर्यात सेवाओं पर स्पष्टीकरण - संबंधित। Clarification on export of services under GST - Reg.
5	परिपत्र सं. 79/53/2018-GST दिनांक 31 दिसंबर, 2018 Circular No. 79/53/2018-GST Dated the 31st December, 2018	धन वापसी संबंधित पर स्पष्टीकरण - संबंधित। Clarification on refund related issues - Reg.

2. सभी व्यापार संगठनों से इस व्यापार सुविधा की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों को सूचित करने का अनुरोध किया जाता है।

All the Trade Associations are requested to bring the contents of the Trade Facility to all concerned.

अनु: यथोपरि

Encl: As above.

(एम. श्रीनिवास M.Srinivas)

प्रधान आयुक्त

PRINCIPAL COMMISSIONER

NOTE: Please call the toll free number: 1800 599 5399 or mail to gstqueries.medchal@gmail.com to seek clarifications regarding GST issues, if any. (Initiatives of Central GST, Hyderabad Zone)

प्रति प्रस्तुत Copy submitted to:

मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय कर एवं सेवा कर, हैदराबाद क्षेत्र

The Chief Commissioner of Customs, Central Tax, Central Excise and Service Tax, Hyderabad Zone.

प्रतिलिपि Copy to:

1. तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन, फेडरेशन हाउस, 11-6-841, रेड हिल्स, हैदराबाद-500004
The Federation of Telangana & Andhra Pradesh Chamber of Commerce and Industry, Federation House, 11-6-841, Red Hills, Hyderabad - 500004.
2. संयुक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त कार्यालय - उपरोक्त विवरण के अनुसार क्षेत्रीय वेब-साइट पर अपलोड विवरण को प्राप्त करने के अनुरोध सहित।
The Joint Commissioner, CCO, with a request to get the details updated on the Zonal Website as per the above details.
3. उप / सहायक आयुक्त, मेडचल, मल्काजगिरी, जिडीमेट्ला, कुकटपल्ली, संगारेड्डी, करीमनगर, निजामाबाद, मंचेरियाल मण्डल।
The Deputy/Assistant Commissioner, Medchal, Malkajgiri, Jeedimetla, Kukatpally, Sangareddy, Karimnagar, Nizamabad, Mancheria Divisions.
4. अधीक्षक (कम्प्यूटर) को आधिकारिक वेबसाइट <http://cexhyd1.nic.in/> पर उपलोड करने हेतु
Superintendent (Computers) for uploading on official website <http://cexhyd1.nic.in/>
5. वितरण सूची के अनुसार / As per Distribution list.

